–: कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म0प्र0) :–

–: विविध आदेश :–

क्रं0– 02 /दो–12–47/2021 बालाघाट, दिनांक 08 जनवरी, 2022

मध्य–प्रदेश की जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर "चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती/नियुक्ति प्रकिया सम्पन्न कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जिला स्थापना बालाघाट में साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक 16–01–2022 को नियत किया गया है।

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त परिपत्र कं0–ए/136/2022, जबलपुर दिनांक 07–01–2022 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड–19 सह ओमीक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते संक्रमण से मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर कार्यरत न्यायिक अधिकारी–गण, अभिभाषक–गण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–गण तथा पक्षकारों की उक्त वायरस से संक्रमण से सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आकस्मिकता निधि वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के साक्षात्कार के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए जिला न्यायालय में संक्रमण बढ़ने की संभावना है।

अतः वर्तमान में कोविड–19 वायरस एवं ओमीक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण की दर में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायिक जिला स्थापना बालाघाट में "चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार दिनांक 16–01–2022 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट (म0प्र0)